

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, भावनगर

बनाम

मैसर्स सौराष्ट्र केमिकल्स लिमिटेड

मई 10, 2007

[एस.बी.सिन्हा और मार्कण्डेय काटजू, जे.जे.]

केन्द्रीय उत्पादक शुल्क अधिनियम, 1944/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944: आर 57 ए. सी. और 57 क्यू(3):

इन्पुट/पूंजीगत वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट- जनरेटर सेट का आयात-संशोधित नियम 57 क्यू(3) नियम 57 ए.सी. द्वारा प्रतिस्थापित किया गया द्वारा -नियम 57 ए.सी. का दायरा व परिधि- निर्णित नियम 57 (2) (ए) व (बी) किसी वित्तीय वर्ष में पूंजीगत वस्तुओं पर क्रेडिट अनुदान को प्रतिबन्धित नहीं करती है- इसके सन्दर्भ में ऋण का 50 प्रतिशत एक वित्तीय वर्ष में दिया जा सकता है और बाद के वर्षों में शेष राशि का लाभ उठाया जा सकता है- एक लाभकारी कानून का स्वार्थहीन अर्थ लगाया जाना चाहिए- पूंजीगत वस्तुओं को संशोधित नियम 57 ए.सी. (2) (ए) व (बी) के पश्चात प्राप्त किया है लेकिन यदि प्राप्त पहले हुए हैं तो नियम 57 ए.सी. (2) (सी) लागू होगा- क्रेडिट की अनुमति देने वाला प्रावधान "के अधीन" वाक्यांश द्वारा सीमित हैं जो पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए शुल्क

के अधिकतम 50 प्रतिशत राशि तक सीमित है- अतः उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही नहीं था कि सेनवैट क्रेडिट 100 प्रतिशत की सीमा तक नियम 57 ए.सी. के सन्दर्भ में अनुमति दी जा सकती है- इस प्रकार आक्षेपित निर्णय संधारणीय नहीं होने से अपास्त किया जाता है- कानून की व्याख्या- शाब्दिक व्याख्या।

"शब्द और वाक्यांश"

'के अधीन' केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 57 ए.सी. के सन्दर्भ में।

प्रतिवादी-निर्धारित, जो सोडा एश, सोडियम बाईकार्बोनेट और कास्टिक सोडा के निर्माण में संलग्न है, इन्पुट के साथ पूंजीगत वस्तुओं पर मोडवैट/सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठा रहा है। प्रतिवादी ने दो जनरेटर सेट आयात किये। यद्यपि एक जनरेटर सेट निर्धारित द्वारा दिनांक 24.10.1998 को प्राप्त किया गया था, लेकिन इसे दिनांक 01.04.2000 को स्थापित किया गया। संबंधित वित्तीय वर्ष में नियम 57 क्यू (3) लागू था। लेकिन उक्त नियम को संशोधित कर नियम 57 ए.सी. द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था, जो दिनांक 01.04.2000 से प्रभावी हुआ। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक ने दिनांक 05.05.2001 के आस पास निर्धारित को कारण बताओ नोटिस जारी कर क्रेडिट की निश्चित राशि उससे क्यों ना वसूली जाए पूछा। प्रकरण को केन्द्रीय सहायक आयुक्त

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा निर्धारित किया गया, जिसमें प्रतिवादी को 50 प्रतिशत की सीमा तक सेनवैट क्रेडिट प्राप्त करने का हकदार माना गया। हालांकि, उक्त आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा कमिश्नर (अपील) के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे स्वीकार कर लिया गया। रेवेन्यू द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दी गई। रेवेन्यू द्वारा प्रस्तुत अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। इसलिए, यह अपील पेश की गई है।

अपील को अनुमति प्रदान करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: 1.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 57 ए.सी. के उप नियम 1 में "इन्पुट" का उल्लेख किया है। नियम 57 ए.सी. के उप नियम 2 के खण्ड ए व बी किसी कारखाने में पूंजीगत वस्तुओं की प्राप्ति को नियन्त्रित करते हैं। जो किसी वित्तीय वर्ष में क्रेडिट अनुदान को बाधित नहीं करते हैं। जबकि 50 प्रतिशत क्रेडिट एक वित्तीय वर्ष में तथा बकाया आगामी वर्षों में लिया जाने का प्रावधान है, बशर्ते पूंजीगत वस्तु आगामी वर्ष में भी निर्माता के कब्जे व उपयोग में है। नियम 57 ए.सी. (2) (ए) व (बी) इस प्रकार एक समग्र योजना का प्रावधान करते हैं। [पैरा 7] [377-ई,एफ,जी]

1.2 नियम 57 ए.सी. के उप नियम 12 के खण्ड सी द्वारा नियम 57 क्यू(3) के तहत लिये जाने वाले क्रेडिट को पूरी तरह से नहीं हटाया

गया है तथा इसे केवल क्रेडिट नहीं लेने की दशा में 50 प्रतिशत की हद तक प्राप्त करने का प्रावधान है। [पैरा 7] [378-ए,बी]

1.3 एक लाभकारी कानून का उदारता से विचार किया जाना चाहिए लेकिन जहां किसी कानून में एक से अधिक व्याख्या को जगह नहीं दी गई है तो शाब्दिक व्याख्या का सहारा लेना चाहिए। प्रावधान क्रेडिट लेने की अनुमति देता है लेकिन यह "के अधीन" शब्दों से संचालित है, जो पूंजीगत वस्तुओं पर 50 प्रतिशत से अनाधिक शुल्क तक है। जिससे "के अधीन" वाक्यांश महत्वपूर्ण हो जाता है। [पैरा 8] [378-बी,सी]

अशोक लीलेन्ड लिमिटेड बनाम तमिलनाडू राज्य व अन्य [2004] 3 एस.सी.सी. 1 व एस.एन. चन्द्रशेखर व एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य [2006] 3 एस.सी.सी. 208 का संदर्भ दिया गया

ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, पांचवा संस्करण पेज 1278 का संदर्भ दिया गया।

2.1 नियम 57 ए.सी. उप नियम 2 के दृष्टांत नियम 57 ए.सी. उप नियम 2 (ए) व (बी) पर लागू होते हैं ना कि उप नियम 2 (सी) पर, जो ऐसी स्थिति का उल्लेख करता है जहां 'मशीनरी' को 16 अप्रैल 2000 से पूर्व प्राप्त किया गया ना कि उससे पहले। पूंजीगत वस्तुओं को 01.04.2000 के बाद प्राप्त करने पर नियम 57 ए.सी. के उप नियम 2 के

खण्ड ए व बी लागू होंगे तथा उससे पहले प्राप्त करने पर खण्ड सी लागू होगा। अतः उच्च न्यायालय की राय सही नहीं थी कि सेनवैट क्रेडिट 100 प्रतिशत की सीमा तक नियम 57 ए.सी. के तहत अनुमति दी जा सकती है। [पैरा 9 व 10] [378-जी,379-ए]

2.2 संबंधित वर्ष में 50 प्रतिशत की सीमा तक राहत देते समय आयुक्त ने शेष 50 प्रतिशत के क्रेडिट को बाद के वर्षों में लिया जाना सही माना। उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने में आयुक्त ने नियम 57 ए.सी. के उप नियम 2 के खण्ड ए. व बी. और खण्ड सी. के बीच अन्तर पर ध्यान नहीं दिया। वह यह भी समझने में विफल रहा कि इस मामले पर दृष्टांत लागू नहीं होगा। इसके अलावा यह अब विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि दृष्टांत मुख्य प्रावधान को नियन्त्रित नहीं कर सकता है। [पैरा 11] [379-डी,ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2428/2007

उच्च न्यायालय गुजरात पीठ अहमदाबाद द्वारा कर अपील संख्या 862/2005 में पारित अन्तिम निर्णय व आदेश दिनांक 12.01.2006 से।

जी.ई. वाहनवती, सोलिसिटर जनरल, टी.वी. रत्नम और बी.कृष्ण प्रसाद अपीलार्थी की ओर से।

रमेश सिंह व शीला गोयल प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, जे. द्वारा पारित किया गया।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 ("नियम") के नियम 57 ए.सी. की व्याख्या को इस अपील के माध्यम से प्रश्नगत किया गया है। जो उच्च न्यायालय गुजरात अहमदाबाद पीठ द्वारा कर अपील संख्या 862/2005 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 12.01.2006 से संबंधित है।

3. प्रतिवादी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु जैसे सोडा ऐश, सोडियम बाईकार्बोनेट और कास्टिक सोडा का निर्माण करता है तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 के तहत पंजीकृत है। प्रतिवादी के उत्पादों पर नियम का अध्याय 7ए लागू होता है। प्रतिवादी नियमों के प्रावधानों के तहत इनपुट व पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किये गये शुल्क के क्रेडिट का लाभ प्राप्त कर रहा है।

4. दिनांक 24.09.1996 के लगभग प्रतिवादी ने 2 जरनेटर सेट आयात किये। हम दूसरे जरनेटर सेट के संबंध में चिंतित हैं। दूसरा जरनेटर सेट प्रतिवादी द्वारा दिनांक 24.10.1998 को प्राप्त किया गया तथा स्वीकृतरूप से दिनांक 01.04.2000 से पहले स्थापित नहीं किया गया। संबंधित वित्तीय वर्ष में नियम 57 क्यू (3) लागू था। जो निम्नानुसार है-

"57 क्यू (3) उप नियम (1) में किसी भी बात के बावजूद,

अन्तिम उत्पादों के निर्माता को अन्तिम उत्पादों पर धारा 3

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) के तहत लागू कर, जो उन मालों पर लागू होता है, जो सीमा शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक नम्बर 98.01 के तहत आते हैं, पर 75 प्रतिशत की हद तक अतिरिक्त कर लागू होगा।"

निर्विवाद रूप से उक्त नियम को नियम 57 ए.सी. द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जो दिनांक 01.04.2000 से प्रभावी हुआ। नियम 57 ए.सी. निम्नानुसार है-

"57 एसी. सेनवैट क्रेडिट की अनुमति के लिए शर्तें-(1) सेनवैट क्रेडिट निर्माण के कारखाने में इनपुट प्राप्त होने पर इनपुट के संबंध में क्रेडिट तुरंत लिया जा सकता है।

(2) (ए) किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में किसी भी समय किसी कारखाने में प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में सेनवैट क्रेडिट केवल ऐसी पूंजीगत वस्तुओं पर उसी वित्तीय वर्ष भुगतान किए गए शुल्क के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं लिया जाएगा।

(बी) सेनवैट क्रेडिट का शेष उस वित्तीय वर्ष के बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष में लिया जा सकता है जिसमें पूंजीगत

सामान निर्माता के कारखाने में प्राप्त हुए थे, बशर्ते कि पूंजीगत सामान (घटकों, स्पेयर और सहायक उपकरण, रिफ्रैक्टरीज और के अलावा) केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्षक संख्या 68.02 और उप-शीर्ष 6801.10 के अंतर्गत आने वाली दुर्दम्य सामग्री और सामान अभी भी ऐसे बाद के वर्षों में अंतिम उत्पादों के निर्माता के कब्जे और उपयोग में हैं।

(सी) सेनवैट क्रेडिट ऐसे पूंजीगत सामानों के संबंध में भी लिया जा सकता है जो कारखाने में प्राप्त हुए हैं, लेकिन 1 अप्रैल, 2000 से पहले स्थापित नहीं किए गए हैं, बशर्ते कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान, ऐसी पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए शुल्क के पचास प्रतिशत से अधिक राशि का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण- एक निर्माता को उसके कारखाने में 16 अप्रैल, 2000 को मशीनरी प्राप्त हुई। इस मशीनरी पर दो लाख रुपये का सेनवैट चुकाया जाता है। निर्माता वित्तीय वर्ष 2000-200 में अधिकतम एक लाख रुपये तक का क्रेडिट ले सकता है, और शेष राशि बाद के वर्षों में ले सकता है।

(3) पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए शुल्क के संबंध में सेनवैट क्रेडिट की अनुमति किसी निर्माता को दी जाएगी, भले ही पूंजीगत वस्तुएं निर्माता द्वारा किसी वित्तपोषण कंपनी से पट्टे, किराया खरीद या ऋण समझौते पर हासिल की गई हों।

(4) पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में सेनवैट क्रेडिट पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य के उस हिस्से के संबंध में अनुमति नहीं दी जाएगी जो ऐसी पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क की राशि का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे निर्माता आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32(43/1961) के तहत मूल्यहास के रूप में दावा करता है।

(5) (ए) सेनवैट क्रेडिट की अनुमति तब भी दी जाएगी, जब कोई इनपुट या पूंजीगत सामान आंशिक रूप से संसाधित होने के बाद आगे की प्रक्रिया, परीक्षण, मरम्मत, पुनः कंडीशनिंग या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी जॉब वर्कर को भेजा जाता है, और यह सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने वाले निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड, चालान या मेमो या किसी अन्य दस्तावेज़ से यह साबित किया जाता है कि सामान जॉब वर्कर को भेजे जाने के 180 दिनों के भीतर

कारखाने में वापस प्राप्त हो गया है। यदि इनपुट या पूंजीगत सामान 180 दिनों के भीतर वापस नहीं मिलता है, तो निर्माता सेनवैट क्रेडिट को डेबिट करके या अन्यथा इनपुट या पूंजीगत सामान के लिए सेनवैट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा। हालाँकि, निर्माता अपने कारखाने में इनपुट या पूंजीगत सामान वापस प्राप्त होने पर फिर से सेनवैट क्रेडिट ले सकता है।

(बी) अंतिम उत्पादों के निर्माता द्वारा किसी जॉब वर्कर को उसकी ओर से और उसके विनिर्देशों के अनुसार माल के उत्पादन के लिए भेजे गए जिग्स, फिक्स्चर, मोल्ड और डाई के संबंध में भी सेनवैट क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी।

(6) अंतिम उत्पादों के निर्माता के कारखाने पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जिसने अपने कारखाने के बाहर किसी जॉब वर्कर को इनपुट या आंशिक रूप से संसाधित इनपुट भेजा है, एक आदेश द्वारा, जो ऐसे इनपुट या आंशिक रूप से संसाधित इनपुट को हटाने के संबंध में एक वित्तीय वर्ष के लिए वैध होगा, और ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो वह राजस्व के हित में लगा सकता है, जिसमें वह तरीका भी शामिल है जिसमें शुल्क, यदि लगाया

जाना है, का भुगतान किया जाना है, तैयार माल को जॉब वर्कर के परिसर से निकालने की अनुमति दें।

7. जहां किसी भी इनपुट का उपयोग अंतिम उत्पादों में किया जाता है जिन्हें बंधपत्र के तहत निर्यात के लिए मंजूरी दे दी जाती है या निर्यात के लिए मंजूरी दे दी गई मध्यवर्ती उत्पादों में उपयोग किया जाता है, इस प्रकार उपयोग किए गए इनपुट के संबंध में सेनवैट क्रेडिट का उपयोग निर्माता द्वारा घरेलू उपभोग के लिए या निर्यात के लिए शुल्क के भुगतान पर किसी भी अंतिम उत्पाद पर उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी और जहां किसी भी कारण से ऐसा समायोजन संभव नहीं है, निर्माता को ऐसे सुरक्षा उपायों, शर्तों और सीमाओं के अधीन ऐसी राशि की वापसी की अनुमति दी जाएगी जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।"

5. मोडवैट क्रेडिट के अनुदान के प्रयोजन के लिए, जो कानून प्रासंगिक समय पर क्षेत्र में काम कर रहा था, वह ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आयुक्त के मामले में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT), चेन्नई केंद्रीय उत्पाद शुल्क,

त्रिची (2004) 176 ईएलटी 265 (त्रि-चेन्नई) का निर्णय था। जिसके अनुसार कारखाने में माल प्राप्त होने पर देय ऋण की मात्रा 75% मानी गई थी। दिनांक 01.03.2000 के पश्चात 100 प्रतिशत क्रेडिट दिया जाना अभिनिर्धारित किया गया था जो पूर्वव्यापी नहीं था। ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा उक्त निर्णय के संबंध में सिविल अपील संख्या 3477/2004 दायर की गई थी, जिसे दिनांक 19.07.2004 को निम्न आदेश द्वारा खारिज किया गया था-

“हम हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

सिविल अपील खारिज की जाती है।

हर्ज-खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।”

नियम 57 ए.सी. की व्याख्या, जिसे दिनांक 03.05.2000 को जोड़ा गया है, प्रश्नगत है।

उक्त प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी को दिनांक 05.05.2001 को अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ए.आर. द्वितीय, पोरबन्दर ने कारण बताओ नोटिस जारी कर निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था-

“(i) प्रतिवादी से क्रेडिट की राशि रूपये 8,51,490/- (656481/- व 195009/-) नियम 57 ए.एच. सपठित धारा 11 के अनुसार क्यों नहीं वसूली जानी चाहिए।

(ii) धारा 11 ए.बी. के अनुसार ब्याज 24 प्रतिशत क्यों नहीं लगाना चाहिए।

(iii) नोटिस प्राप्तकर्ता पर नियम 173 क्यू (1) के तहत क्यों नहीं जुर्माना लगाना चाहिए।”

कारण बताया गया। प्रकरण को सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जुनागढ़ द्वारा दिनांक 13.09.2001 को इस प्रकार निर्धारित किया गया कि प्रतिवादी केवल 50 प्रतिशत सेनवैट क्रेडिट का हकदार है। जिससे आहत होकर प्रतिवादी ने कमिश्नर (अपील) सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजकोट के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 31.12.2001 को स्वीकार किया गया। रेवेन्यू द्वारा उक्त आदेश से आहत होकर न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे खारिज किया गया। रेवेन्यू द्वारा धारा 35-जी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के तहत अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 12.01.2006 द्वारा खारिज किया गया।

6. उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि पूर्व में जारी अधिसूचना में 50 प्रतिशत पात्रता के संबंध में कोई प्रतिबन्धात्मक प्रावधान नहीं है। आयुक्त और न्याधीकरण द्वारा अधिसूचना दिनांक 01.03.2000 को लागू करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है। जिससे आहत होकर रेवेन्यू हमारे समक्ष आया है।

7. नियम 57 ए.सी. के उप नियम 1 में "इन्पुट" का उल्लेख किया गया है। जो कि हमारे समक्ष प्रासंगिक नहीं है। नियम 57 ए.सी. (2) (ए) व (बी) कारखाने में पूंजीगत वस्तुओं की प्राप्ति को शासित करते हैं। ये वित्तीय वर्ष में क्रेडिट अनुदान को प्रतिबन्धित नहीं करते हैं। जबकि 50 प्रतिशत क्रेडिट एक वित्तीय वर्ष में तथा शेष आगामी वर्षों में लिये जाने का प्रावधान है। बशर्ते पूंजीगत वस्तु आगामी वर्षों में भी अन्तिम उत्पादों के निर्माता के कब्जे व उपयोग में हो। नियम 57 ए.सी. के उप-नियम (2) के नियम (ए) व (बी) एक समग्र योजना का प्रावधान करते हैं। जिसे इस अपील में नहीं देखा जा रहा है।

नियम 57 ए.सी. के उप-नियम (2) का खण्ड सी हमारे लिए इस मामले में प्रासंगिक है, क्योंकि दूसरा जनरेटर सेट दिनांक 24.10.1998 को प्राप्त हुआ लेकिन दिनांक 01.04.2000 से पहले स्थापित नहीं किया गया है।

ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (उपरोक्त) नियम 57 क्यू(3) अब अप्रासंगिक हो गया है। नियम 57 ए.सी. के उप नियम 2 का खण्ड सी ऐसी स्थिति के बारे में प्रावधान करता है, जिससे हम चिंतित हैं। उक्त नियम के अनुसार क्रेडिट लिये जाने को पूरी तरह से नहीं हटाया गया बल्कि यह प्रावधान किया गया है कि क्रेडिट यदि पूर्व में नहीं लिया गया है तो उसे केवल 50 प्रतिशत की सीमा तक लिया जा सकता है।

8. एक लाभकारी कानून पर उदारता से विचार किया जाना चाहिए लेकिन जहां किसी कानून की एक से अधिक व्याख्या संभव नहीं है तो शाब्दिक व्याख्या का सहारा लिया जाना चाहिए। प्रावधान क्रेडिट लेने की अनुमति देता है लेकिन उसे "के अधीन" शब्दों से सीमित किया गया है, जो 50 प्रतिशत से अनाधिक शुल्क तक सीमित है। जिसमें "के अधीन" शब्द महत्वपूर्ण होते हैं।

अशोक लीलेन्ड लिमिटेड बनाम तमिलनाडू राज्य व अन्य [2004] 3 एस.सी.सी. 1 में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि:

"के अधीन" एक अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा सीमा तय की जाती है। आदेश सभी उद्देश्यों के लिए निर्णायक है"

इसके अलावा न्यायालय द्वारा "के अधीन" के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दिया गया जो निम्नानुसार है-

“इसके अलावा अभिव्यक्ति "के अधीन" को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी, पांचवे संस्करण पृष्ठ 1278 में अभिव्यक्ति "के अधीन" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया-

“उत्तदायी, अधीनस्थ, हीन, आज्ञाकारी, द्वारा शासित या प्रभावित; बशर्ते कि प्रदान किये गये के लिए जवाब देह हो।
होमान बनाम एम्प्लोयेर्स रीड्न्शयोरेन्स कोर्प, 345 एम.ओ.
650, 136 एस.डब्ल्यू. 2 डी 289, 302”

[एस.एन. चन्द्रशेखर व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य [2006] 3 एस.सी.सी. 208 को भी देखे।]

9. नियम 57 ए.सी. के उप नियम 2 में संलग्न दृष्टांत को साधारण रूप से पढ़ने पर नियम 57 ए.सी. के उप नियम 2 (ए) व 2 (बी) पर लागू होता है ना कि उप नियम 2 (सी) पर क्योंकि वह ऐसी स्थिति का उल्लेख करता है जहां "मशीनरी" 16 अप्रैल 2000 के बाद प्राप्त की गई है ना कि उससे पहले। पूंजीगत वस्तुओं का दिनांक 01.04.2000 के पश्चात प्राप्त करने पर नियम 57 ए.सी. उप नियम 2 खण्ड ए. व बी. लागू होते हैं। जबकि उससे पहले प्राप्त करने पर खण्ड सी. लागू होगा।

10. अतः हमारी राय में उच्च न्यायालय यह मानने में सही नहीं था कि नियम 57 ए.सी. के तहत 100 प्रतिशत सीमा तक सेनवैट क्रेडिट की अनुमति दी जा सकती है।

11. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश सिंह ने तर्क दिया कि क्रेडिट केवल 50 प्रतिशत कुल शुल्क राशि पर ही दिया गया है जैसा आयुक्त के आदेश दिनांक 31.12.2001 से प्रकट होता है, जो निम्नानुसार है-

"नियम 57 एसी के उप नियम 2(सी) को पढ़ने पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पूंजीगत वस्तुओं में शामिल वे वस्तुएं जो 1 अप्रैल 2000 से पहले स्थापित नहीं की गई हैं (बल दिया गया है), वे ऐसी पूंजीगत वस्तुओं पर चुकाए गए शुल्क के पचास प्रतिशत से अधिक की राशि के लिए क्रेडिट की हकदार होंगी। मुझे लगता है कि इस मामले में भी, यह निर्विवाद तथ्य है कि उक्त जेनरेटर 01.04.2000 से पहले अपीलकर्ताओं के कारखाने में स्थापित नहीं किया गया था, और इसलिए, उन्होंने 7,80,036/- (15,60,072.28 रुपये का 50%) रुपये के क्रेडिट का सही लाभ उठाया।"

लेकिन, संबंधित वर्ष में 50% की सीमा तक राहत देते समय जो किया गया वह यह था कि, शेष 50% का क्रेडिट बाद के वर्षों में प्राप्त

किया जा सकता है। उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने पर आयुक्त ने एक ओर नियम 57 एसी के उप-नियम (2) के खंड (ए) और (बी) और दूसरी ओर उसके खंड (सी) के बीच अंतर पर ध्यान नहीं दिया। यह भी ध्यान देने में विफल रहा कि उदाहरण का तत्काल मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। इसके अलावा अब यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि एक उदाहरण मुख्य प्रावधान को नियंत्रित नहीं कर सकता है।

12. उपरोक्त कारणों से आक्षेपित निर्णय संधारणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। अपील को अनुमति प्रदान की गई। हालांकि, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हर्जे-खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एस.के.एस.

अपील स्वीकार की गई

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायाधिकारी शारिक हुसैन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।